29/5/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। पत्रावली में बार-बार आदेश के बावजूद भी आज दिनांक तक नोटिस/सम्मन पेश नहीं। वकील वादी को पूर्व में भी हिदायत दी जा चुकी है, अथवा नोटिस पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। अतः वादी का वाद अंतर्गत आदेश 9 नियम 5 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।